

**कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, (म.प्र.)**

E-mail - indore@mptownplan.gov.in

क्र./
प्रति,

/INDLP-6214/19/नग्रानि/2020,

इन्दौर, दिनांक

शुभम सिटी होम्स प्रा.लि.

तर्फे पार्टनर श्री सुमित पिता श्री कल्याणमल मंत्री,

निवासी- प्रथम मंजिल, कल्याण भवन, 203, जवाहर मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ग्राम राउ, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 1411/1/1, 1411/1/2, 1411/2/1, 1411/2/2 कुल रकबा 5.872 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद।

संदर्भ : आवेदक का आवेदन कार्यालय में प्राप्त दिनांक 09/12/2019.

कॉलोनी का नाम :- "शुभम वैली" (Shubham Valley)"

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक- शुभम सिटी होम्स प्रा.लि. तर्फे पार्टनर श्री सुमित पिता श्री कल्याणमल मंत्री, निवासी- प्रथम मंजिल, कल्याण भवन, 203, जवाहर मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम राउ, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 1411/1/1, 1411/1/2, 1411/2/1, 1411/2/2 कुल रकबा 5.872 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क रुपये 10,000/- ऑनलाईन चालान क्रमांक 0217215, दिनांक 05/12/2019 एवं रुपये 20,000/- ऑनलाईन चालान क्रमांक 0217216, दिनांक 05/12/2019 तथा अनुज्ञा शुल्क ऑनलाईन चालान क्र. 02171463, दिनांक 27/01/2020 द्वारा राशि रुपये 40,400/-, चालान क्र. 02171464, दिनांक 27/01/2020 द्वारा राशि रुपये 2,00,000/- एवं चालान क्र. 02171465, दिनांक 27/01/2020 द्वारा राशि रुपये 2,00,000/- द्वारा जमा। इस प्रकार कुल रुपये 4,70,400/- जमा।
3. खसरा बी-1, पी-2 वर्ष 2019-2020 एवं ऋण पुस्तिका।
4. सीमांकन रिपोर्ट, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति पत्र।
5. अभिन्यास।

विषयांकित भूमि का आवेदक के इंजिनियर की उपस्थित में स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें स्थल मौके पर रिक्त अवस्था में है। प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में 18.0 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना-2021 में भूमि आवासीय उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट है।

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग-राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 565/री. राऊ/2016 इन्दौर, दिनांक 09/08/2016 द्वारा ग्राम राउ, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 1411/1/1, 1411/1/2, 1411/2/1, 1411/2/2 कुल रकबा 5.872 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सशर्त नजूल अनापत्ति दी है।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर के पत्र क्रमांक 8875 दिनांक 22/12/2014 द्वारा प्रेषित सूची में प्रश्नाधीन भूमि सम्मिलित नहीं है। तथा वर्तमान में प्राधिकारी के पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 13/04/2017 इस कार्यालय के आवक क्रमांक 1234 दिनांक 18/04/2017 द्वारा प्राप्त। मैं भी अवगत कराया गया है कि, प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित अभिन्यास/पत्र पर ही निर्णय लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by S.K. Mudgal
Date: 2020.02.10 17:39:40 IST

अविस्त.....2

उपरोक्त दस्तावेजों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों, क्षतिपूर्ति पत्र एवं स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए ग्राम राउ, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 1411/1/1, 1411/1/2, 1411/2/1, 1411/2/2 कुल रकबा 5.872 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

ब. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998

स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

2. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
3. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा डी.पी.एस. स्कूल एवं सिलीकॉन सिटी के स्वीकृत अभिन्यास में 18.0 मीटर मार्ग को आवेदित भूमि में से निरंतर किया गया है। अतः मार्ग हेतु खुली छोड़ी गयी भूमि को खुली छोड़ना आवश्यक होगा। अतः मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित होगा।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अन्तर्गत कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावे।
5. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत है तथा नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला इन्दौर है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए संशोधित विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 374 सामान्य भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 19/04/2012 को हेतु संशोधन अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आयवर्ग हेतु 34 भूखण्ड एवं निम्न आयवर्ग हेतु 22 भूखण्ड प्रस्तावित किये हैं। जिसका विवरण मानचित्र पर किया गया है। इस हेतु आवेदक से नियमों में प्रावधानित आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवाकर आवेदक का प्रस्ताव मान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर जिला इन्दौर का है। सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा विकल्प मान्य किये जाने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावे। यदि सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर, जिला इन्दौर विकल्प से सहमत न हो तो तदनुसार सूचित करने पर कार्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर, जिला इन्दौर के बताये अनुसार अभिन्यास में जा कर सूचित किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by S.K. Mudgal
Date: 2020.02.10 17:39:40 IST
3 अस्त.....3

6. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
7. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. प्रश्नाधीन भूमि पर विकसित होने वाले भूखण्डों/भवन के विक्रय के सम्बन्धी इशतहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्सन, नजूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बन्धी आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
9. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
10. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
11. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता तथा आसपास के स्वीकृत अभिन्यास के मार्गों समन्वय किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
12. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूचि की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल, दिनांक 14, अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाय तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by S. K. Mudgal
Date: 2020.02.10 17:39:40 IST

अविरत.....4

- Signature Not Verified
Digitally signed by S.K. Mudgal
Date: 2020.02.10 17:39:40 IST

Steno/FC/DM(M)/07-12-18

23. फायनेंस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
24. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या इस अनुज्ञा शर्तों के उलंघन की दशा में यह अनुज्ञा स्वतः प्रभावशून्य होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्वोक) कर दी जावेगी।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर (म.प्र.)

पृ. क्र./
प्रतिलिपि:-

/INDLP-6214/19/नग्रानि/2020,

इन्दौर, दिनांक

1. सक्षम अधिकारी/कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर परिषद् राज, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. तहसीलदार, तहसील, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

Signature Not Verified
Digitally signed by S.K. Mudgal
Date: 2020.02.10 17:39:40 IST
इन्दौर (म.प्र.)